



2026:AHC:16820

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या -39350 वर्ष 2025

सोनू

.....आवेदक

बनाम

उ० प्र० राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अजय कुमार, महेन्द्र त्रिपाठी, नरेन्द्र पाल सिंह, रजत कुमार शुक्ला
प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रजत कुमार शुक्ला तथा राज्य के विद्वान पक्षसार धारक श्री आर० के० निषाद को सुना गया, तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन तहत धारा 483, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 आवेदक सोनू की ओर से थाना गोवर्धन, जिला मथुरा में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21/22 के अधीन पंजीकृत वाद अपराध संख्या 2025 का 504 में उसे जमानत पर रिहा करने की याचना के साथ दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि अभियोजन के पक्ष के अनुसार आवेदक के कब्जे से 230 ग्राम अल्प्राज़ोलम बरामद होना अभिकथित है। वास्तव में आवेदक से ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि एफआईआर में घटना की तारीख एवं समय 2.10.2025 को 22:46 बजे दर्शाया गया है, जबकि अनुपूरक शपथ-पत्र के अनुलग्नक-1 के रूप में अनुलग्न सीसीटीवी फुटेज के अनुसार आवेदक को दिनांक 2.10.2025 को अपराहन 12:46 बजे पुलिस द्वारा उठाया गया था और बाद में उसे इस वाद अपराध संख्या में झूठा आलिप्त किया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आगे दावा किया गया है कि वर्तमान मामले में अभियोजन एन०डी०पी०एस० अधिनियम की धारा 50 के उपबंधों का कड़ाई से पालन करने में विफल रहा है। यह भी तर्क किया गया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और अनावश्यक प्रताड़ित करने एवं पीड़ित करने के उद्देश्य से उसे वर्तमान अपराध में झूठा आलिप्त किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में दिनांक 4.12.2025 को आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। दिनांक 3.10.2025 से कारागार में निरुद्ध आवेदक, जिसका 15 मामलों का आपराधिक इतिहास है जिसका पर्याप्त रूप से स्पष्टीकरण दिया गया है, जमानत पर रिहा किये जाने का अधिकारी है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उ० प्र० राज्य एवं अन्य, 2020 (11) एससीसी 648** तथा **अभिमन्यु एवं अन्य बनाम केरल राज्य, 2025 आईएनएससी 1136** में पारित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का सहारा लिया है, जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रेक्षण किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध अनेक आपराधिक मामलों की लम्बितता स्वयं जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती।

प्रतिविपरीत, विद्वान पक्षसार धारक ने यह दावा करते हुए आवेदक की जमानत याचना का विरोध किया है कि विचारण-पूर्व चरण में आवेदक की निर्दोषिता का निर्णय नहीं किया जा सकता, जो प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति में संलिप्त है, अतः आवेदक किसी अनुग्रह का अधिकारी नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधि में लिप्त होगा।

मामले के तथ्यों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दण्ड की गम्भीरता, अभियुक्त-आवेदक के चरित्र, अभियुक्त की विशेष परिस्थितियों, विचारण में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की युक्तियुक्त सम्भावना, गवाहों से छेड़छाड़ की युक्तियुक्त आशंका,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जनता/राज्य के व्यापक हित एवं अन्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए, किन्तु गुणागुण पर कोई मत व्यक्त किये बगैर, हम यह मत रखते हैं कि यह जमानत प्रदान करने का उपयुक्त मामला है।

तदनुसार, जमानत आवेदन अनुमत किया जाता है।

उपर्युक्त वाद अपराध में संलिप्त आवेदक सोनू को सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर वैयक्तिक बन्धपत्र एवं समान राशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाये कि:-

1. आवेदक विवेचना या विचारण के दौरान गवाहों को भयभीत/दबाव डालकर अभियोजन के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक कोई स्थगन माँगे बगैर विचारण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
3. जमानत पर रिहा होने के पश्चात् आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध के कारित किये जाने में लिप्त नहीं होगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में वह जमानत निरस्त करने का आधार माना जाएगा। बन्धपत्र स्वीकार किये जाने से पूर्व सम्बन्धित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं प्रतिभूतियों की पहचान, स्थिति एवं निवास प्रमाण सत्यापित किया जाये।

(न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव)

22 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।